## इस्लामी कानून - अल मुक्दस शेख अल फ़ाज़िल अहमद अली राज

## बिस्मिल्लाह हिर रहमान निर रहीम

## इस्लामी कानून

किताब का नाम: ग्लदस्ता ए मालूमात

**लेखक:** अल अलीमुल ज़य्यद, दर्ज़ा अव्वल, साबिक उस्ताद जामिया सैफ़िया, सूरत अल फ़ाजिल शेख अहमद अली राज

Chapter name: इस्लामी कवानिन

**Page:** 22 to 25

CASE] इस्लामी कवानीन फ़रसूदा (outdated) हो चुके हैं वह समाजी तबदिली और ज़माने कि तरक्की का साथ नहीं दे सकते। बेटे कि बेवा और बच्चों को हक़ से महरूम करना, गैर मुन्सिफ़ाना (injustive) और गैर इंसानी कानून है। शरी कवानीन (plural of word कानून) और इस्लामी फ़िके पर एक माहिर-ए-कानून जो बरसों तक कानून कि तालीम देते रहे हैं; बडी हैरत अंगेज़ बातें इस्लामी कानून और शरियत के मुताल्लिक कही है। इनका कहना है कि कुरआनि अहकाम कि तरक्की पसंद अनि तोज़िओ तशरिह होनि चाहिए क्योंकि क़वानिन मुल्क में होने वाली समाजी इकतसादि और दूसरी तबदिलियों का साथ नहीं दे रही हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस्लामी कवानिन न सिर्फ़ यह कि अपनी इंकलाबी कैफ़ियत खो चुकी है बलकी क़दामत पसंद (orthodox) फ़रसूदा खयाल अनासिर (मौलवियों) के पंजे में बंद है। यह अनासिर न तो इस्लामी कवानिन को ज़माने का साथ देने के काबिल बनाने पर तय्यार हैं और न हि उन कवानिन कि तरक्की पसंद तोज़िओ तशरिह के लिए तय्यार हैं। यही वजह है कि पारिलयामेन्ट को मुस्लिम क़वानिन बिल मंजूर करना और शाह बानो केस पर सुपीम कोर्ट के फ़ैसले को मुअतिल करना पडा।

अगर मुस्लमान तरक्की पंसद ख्यालात के हामिल होते और समाजी तकाज़ुन और ज़रूरतों के साथ ज़माने कि तबदिलियों कि समझते तो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को बदलने या मुअतिल करने कि ज़रूरत हि पेश न आती। मुस्लिम खवातीन का जो एक्ट पारिलयामेन्ट ने मंजूर किया है उस ने मतलक औरतों के नान-नकफ़े कि ज़िम्मेदारी वक्फ़ बोर्ड पर डाली है। मैं पूछता हूँ कि वक्फ़ बोर्ड मतलक औरत (divorced lady) को नान-नकफ़े कैसे अदा कर सकता है जबिक वक्फ़ ने उस किस्म कि अदाईगी का कोई ज़िक्र हि वक्फ़ प्रोपिट में नहीं किया है। माहिरे कानून ने अपनी अकल ओ होश तरक्की पसंदी और कानूनी तोजिहात का सबूत देने के बाद एक और कदम आगे

Book: ग्लदस्ता ए मालूमात by अल फ़ाजिल शेख अहमद अली राज. Chapter: इस्लामी कवानिन

बढा कर कहा कि इसी तरह बाप के मर जाने वाले बेटे कि बेवा और बच्चों को तरक (assets of grand father) से महरूम कर देना का इस्लामी कानून गैर मृन्सिफ़ाना और गैर इंसानी है।

कुरआन और हदीस से इस कानून के लिए कोई बुनियाद फ़रहाम नहीं कि जा सकती यानी कुरआन और हदीस में ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। अगर इस कानून को मान लिया गया तो फ़िर सवाल पैदा होता है कि बेटे कि बेवा और बच्चों का कफ़ील कौन हुआ और उनका खर्च कौन चलाए। माहिर ए कानून ने अपने इल्म मतालअ तहकीक तफ़तीश मज़करखेज़ सबूत देते हुए एक और कदम आगे बढाया और कहा कि हिन्दुस्तान में इस्लामी कवानीन के तहत (जिस तरह कि वह आज ना फ़ज़ीन) औरत को अपने हि बच्चों का सरपरस्त (guardian) बनने का हक नहीं है यह कानून भी तरक्की पसंद और तबदिली का मोहताज़ है।

इस के बाद माहिर-ए-कानून ने तरक्की पसंद ख्यालात रखने वाले मुस्लमानों को आवाज़ दि कि वह ऐसा इदारा कायम करे जो इस्लामी कवानीन कि तरक्की पसंद अनि तोज़िह कुरआन और हदीस कि रोशनी में करें।

ANSWER] माहिरे-कानून कि यह बातें लघु, गुमराहकुन, बेबुनियाद और गलत बलकि हद दर्जा मज़हकखेज़ (ridiculous) भी है। इन से माहिरे कानून के मबलिग इल्म का भी पता चलता है बलिक य भि मालूम हो जाता है कि इन्होंने कानून का किस नज़र से और किस दिमाग से म्तालआ (study) किया है। हमारा सवाल यह है कि अगर मौलवी कदामत पसंद (orthodox) और फ़रसूदा ख्याल (outdated) हैं और उनके पंजे से इस्लामी कानून को निकाल लेना चाहिए तो फ़िर माहिरे कानून को बताना चाहिए कि इस्लामी शरियत के निफ़ाज़ कि बागडोर किस के हाथ दी जाए? क्या उन तरक्की पसंद मुस्लमान के हाथ में दि जाए जिन के सर गिरोह (leader) खुद माहिरे कानून हैं और जिन को इस्लाम कि इस्लामी शरियत कि इस्लामी कानून और अहकाम कि ब्-बास भी नहीं लगी है! हम यह पूछते हैं कि क्या कोई शख्स जिसे ज़रह (कण) बराबर भी अक़ल है वह म्स्लमान को तरक्की पसंद और कदामत पसंद नाम के खानों में बाँट सकता; म्स्लमान श्रू से आखिर तक ऊपर से नीचे तक म्स्लमान हि है। म्स्लमान को तरक्की पसंद, कदामत पसंद, बुनियाद परस्त, वगैरह - वगैरह कहने वाले बेवकूफ़ हैं। जिस तरह शेर पैदा होने से मरने तक शेर हि होता है उसी तरह मुस्लमान का बच्चा पैदाइश से मौत तक मुस्लमान हि होता है। जिस तरह शेर से यह नहीं कहा जा सकता है कि भाई गोशत महँगा है थोडी सि घास खा लो, लह मिलना मुशकिल हो गया है लिहाज़ा शरबत पी लो, जंगल नहीं है लिहाज़ा मकान में रहना शुरू कर दो, लौहा और लकडी मेंहगी होने के सबब पिजंरे बनाना म्शिकल है लिहाज़ा इंसानों के साथ चहल कदमी कर लिया करो। इसी तरह म्स्लमानों से यह हरगिज़ नहीं कहा जा सकता कि ज़माना बदल गया है तुम भी बदल जाओ, ज़मीन का मिलना मुशकिल हो गया है पुराने कब्रस्तानो कि तो सिआ नहीं हो सकती, नए कब्रस्तान नहीं बन सकते इसीलिए मुर्दों को (न्या ज़माना है) जलाना शुरू कर दो - तो यह होने कि बात नहीं है। जिस तरह शेर मर जाएगा मगर घास नहीं खाएगा, गाए मर जाएगी मगर गोशत नहीं खाएगी इसी तरह म्स्लमान मर जाएगा मगर अल्लाह

कि किताब और उसके रसूल (स.अ.व.व.) के फ़रमान और आइम्मा किराम के फ़ैसलों में ज़रह (कण) बराबर तबदिलि को गवारा नहीं करेगा। अल्लाह कि किताब कयामत तक के लिए है जिस तरह उसमें कोई तबदिली नहीं हो सकती उसी तरह उसके अहकाम कानूनों में भी कोई तबदिली नहीं हो सकती। हम भोले भाले सिधे सादे मुस्लमान रहना पसंद करते हैं, हमें तरक्की पसंदी नहीं चाहिए, हम ज़माने को बदलने के लिए आए हैं; ज़माने के साथ चलने के लिए नहीं। ज़माना शौक से नंगा हो जाए; मुस्लमान नंगा नहीं होगा। लोग शौक से अपनी बिवियों को आज़ादी दें और बेपर्दा करें; मुस्लमान ऐसा नहीं करेगा। हत्तल मकदूर अपनी बिवियों को पर्दे में रखने कि उन्हें बा हया बा शर्म पाक और बा अखलाक बनाने कि कोशिश करेगा।

माहिरे कानून का यह कहना गलत है कि पारिलयामेन्ट ने मुस्लमानों कि कदामत पसंदी को देख कर "मुस्लिम ख्वातीन बिल" पास किया। दरअस्ल उल्मा कि बहस, फ़हमाइश और सही तोज़ि तस्लीम करते हुए (the then Prime Minister) राज़ीव गाँधी और वज़ारत के कानून के अहद बिदारों ने यह बिल तय्यार किया था और इसको और इसको मंज़्र करवाया था।

उल्मा कि बहस के दौरान यह सवाल आया था कि मतलक औरत (divorced lady) और उसके बच्चों को उसका साबिक शौहर खर्च नहीं देगा तो फ़िर कौन देगा? तो बताया गया कि औरत दुबारा निकाह कर सकती है; खुद अपने पैरों पर खड़ी हो कर कुछ कर सकती है; माँ-बाप और दूसरे रिश्तेदारों से मदद ले सकती है। अगर उसका कोई भी नहीं है तो जिस तरह बैतुल माल ऐसी औरतों कि कफ़ालत करता था उसी तरह वक्फ़ बोर्ड करे यानी आखिरी दर्ज़ में वक्फ़ बोर्ड को रखा गया है। बिल में यह नहीं कहा गया है कि वक्फ़ बोर्ड तमाम मतलक औरतों कि देखभाल अपने ज़िम्मे ले ले। माहिरे कानून पुछते हैं कि वक्फ़ ने जब मतलक औरतों कि इमदाद कि कोई "मद" नहीं रखी तो फ़िर वक्फ़ बोर्ड यह रक्म क्यों कर अदा करेगा। तो हम यह पुछते हैं कि वक्फ़ ने यह कब कहा था कि हुकुमत वक्फ़ बोर्ड बनाए तो मेरी जाएदाद उसके हवाले कर दो। मस्जिद बनाने वालों ने यह कब कहा था कि मेरी मस्जिद वक्फ़ बोर्ड को दे दो।

माहिरे कानून कहते हैं कि इस्लाम में बाप के सामने मर जाने वाले कि बेवा बिवि बच्चों को जाएदाद में हक से महरूम करने का जो हुक्म है वह गैएअ मुन्सिफ़ाना और गैर इंसानी है इस एक बात से मालूम होता है कि माहिरे कानून का मुतालअ बहुत हि कम है और उनकी सोच बेहद महदूद है। उन्होंने कुछ पढा और सुना हि नहीं। इस्लाम पन्द्राह सौ (1500) साल पुराना मज़हब है और 1500 साल के दौरान पन्द्रह सौ करोड हमले इस कानून पर हुए हैं और उन हमलों का मुँह तोड जवाब दिया गया है। जो सवालात किए गए उसका दंदां-शिकन जवाब दिया गया है, जो मसाइल उठाए गए उसका हल पेश किया गया है। हिन्दुस्तान भर में कोई शक्स भी यह कहता है कि बाप के सामने मरने वाले बेटे कि बेवा और बच्चों को हक न दिए जाने का कानून अरज़ाफ़ पर मुबीन नहीं है और वह उसको सही साबित कर सकते हैं तो वह हमारे पास चला आए य हमें तफ़सील से लिखे कि वह किन बुनियादों पर इसको गलत कहता है तो हम उसका तसल्ली बखश जवाब देंगे, इंशाल्लाह।

माहिरे कानून ने गैर मुन्सिफ़ाना और गैर इंसानी के जो अलफ़ाज़ इस्तिमाल किए हैं वह बड़े सख्त और अल्लाह के अज़ाब को दावत देने वालें हैं। क्या हि अच्छा होता कि माहिरे कानून मुस्लमान होने के नाते इस किस्म के अलफ़ाज़ से परहेज़ करते।

[जब शौहर तंग आ के तलाक दे रहा है और नान-नकफ़ा भी उसके ज़िम्मे हो तो वह तलाक नहीं देगा और दूसरे गलत रास्ते अख्तयार करेगा।]

माहिरे कानून कि यह अपील कि मज़हकखेज़ (ridiculous) है कि तरक्की पसंद मुस्लमान एक इदारा क़ायम करें जो कुराअन, हदीस और इज़मा कि रोशनी में कुराअनी अहकाम कि तरक्की पसंद अनि तोज़ि करे। हमारा सवाल यह है कि जब माहिरे कानून के कहने के मुताबिक इस्लामी कानून मौलवियों कि कदामत परस्त पंजे में बंद हो गई हैं तो फ़िर इज़मा कैसे होगा? और इदारा जो कवानिन तय्यार करेगा उन पर कौन चलेगा?!!!

आखिर में चंद किलमात उन मुस्लमानों कि खिदमत में पेश किए जाते हैं जो तरक्की पसंद होने का दावा करते हैं य तरक्की पसंद बनना चाहते हैं। गुज़ारिश हमारी उन हज़रात से यह है कि तुम तरक्की पसंद बनना चाहते हो तो शौक से बनो, मगर हमारे करीब न आओ, हम से छेड छाड मत करो। अगर कान्फ्रेंस कर के गैरों कि नज़रों में अच्छे बनना चाहते हो तो याद करो कि आरिफ़ मोहम्मद खान का क्या हश्र हुआ, शाह बानो का क्या हश्र हुआ, हमीद देलवी और छागला का क्या हश्र हुआ। अगर इस्लामी कानून पर हमले कर के मशहूर होना चाहते हो तो खुदा से डरो उसकी पकड बडी सख्त है। जिस पर अल्लाह का हाथ पडा वह खत्म हो गया।

अगर राज्य सभा, लोक सभा और एसेमबली का टिकट हासिल करना चाहते हो तो उस के लिए यह जरूरी नहीं है कि इस्लाम और इस्लामी कवानिन को तख्त-ए-मश्क बनाए। जिन लोगों ने ज़ाति फ़ायदे, ज़ाति शौहरत और नाम नमूद के लिए मज़हब और मिल्लत को इस्तिमाल किया उनका हश्र हम देख चुके हैं हर एक ने भयानक बिमारियों में मुबतिला हो कर और ऐडियां रगड रगड कर जान दी और बहुत से दम तोड रहे हैं। जिस किसी ने भी मज़हब मिल्लत को ज़ाति मफ़ाद का ज़रिया बनाया वह कहीं का नहीं रहा!!

[मज़क्र माहिरे कानून के मानिदं हि असगर अली इंजिनियर के गलत propaganda चालू हैं। अल्लाह बचाए।] Book: गुलदस्ता ए मालूमात by अल फ़ाजिल शेख अहमद अली राज. Chapter: इस्लामी कवानिन

एक जरूरी खुलासा - किसी शक्स के सामने उस का बेटा मर जाए तो वह विरासत का हक़दार नहीं है इसलिए कि विरासत का तआल्लुक मौत से है। मौत के पहले विरासत का सवाल हि नहीं उठता। यह एक बात। अब दूसरी बात यह कि हर किसी के मौत के बाद उसके वारिस लोग का पहला तबका है: माँ, बाप, बिवी और औलाद। इस पहले तबके के साथ और कोई वारिस नहीं हो सकता। औलाद कि औलाद दूसरे तबके में हैं लिहाज़ा वह लोग तबके अव्वल के साथ वारिस नहीं हो सकते लिहाज़ा बाप के सामने मर जाने वाले कि औलाद का विरासत में हक़ नहीं है। अब रहा यह सवाल कि उन यतीमों कि कफ़ालत का ज़रिया भी होना चाहिए तो याद रहे कि उन यतीमों का दादा कि तवक में से विरासत का तो हक नहीं है मगर उन के लिए विसयत का हक़ है, कोई भी हिककी वारिस विसयत का हक़दार नहीं मगर ऐसे रिश्तेदार कि जिस का विरासत में हक न हो तो वह विसयत का हक़दार है। अला हाज़ा शरियत का हुक्म है कि दादा अपने यतीम पोतों कि विसयत कर जाए ताकि वह भी वारिसों के मानिंद माल हासिल कर सके।

व आखिरो दावाना अनिल हमदो लिल्लाहे रब्बिल आलमीन।